

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 143/2018



बउनवान

रामनिवास आयु 50 वर्ष पुत्र हजारीलाल जाति मीणा निवासी मुवाखेडा तहसील अटरू जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्गे नायब तहसीलदार, कवाई जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री हजारी लाल भार्गव अभिभाषक

(अपीलांट)

2- पेरोंकार सरकार

(रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 18.04.2019

अपीलांट द्वारा जर्गे अभिभाषक अधीनस्थ नायब तहसीलदार, कवाई के प्रकरण संख्या 143/2017 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 03.03.2017 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम पाडलिया की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2073 में खसरा नम्बर 1 रकबा 0.20 हेक्टर व खसरा नम्बर 143 रकबा 0.50 हेक्टर किता 2 रकबा 0.70 हेक्टर भूमि पर फसल गेहूँ व सरसों की बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 3 माह (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 350/- रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 21.12.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्गे नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिल खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी जवाब देही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र गवाहों के अभाव में, अपीलांट की अनुपस्थिति में एक तरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई शहादत अभिलेख पर नहीं होते हुए भी सजायाब करने में भूल की है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है और ना ही सरकारी तावान बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रिन्टेड परफोर्मा पर पूर्ति करके निर्णय दिया गया है। जो कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.12.18 को पुलिस तलाशने गांव

में आयी तब हुयी, इसके बाद दिनांक 17.12.18 को आवेदन पेश कर दिनांक 17.12.18 को नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर, अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांत द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल गेहूँ व सरसों की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया है। अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांत द्वारा गतवर्ष में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 741/2016 में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2016 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके से भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया था। अपीलांत द्वारा पुनः सम्बत् 2073 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों का मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया और उसके बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांत द्वारा विवादित आराजी से कब्जा छोड़ने बाबत पटवारी हल्का की रिपोर्ट अथवा शपथ पत्र भी अपील के साथ संलग्न नहीं किया गया है। अपीलांत वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई में अनुपस्थित रहा है। अपीलांत पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना पाया जाता है। हम परोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ नायब तहसीलदार, कवाई द्वारा प्रकरण संख्या 143/2017 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 03.03.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला कलक्टर,
बारां